न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील – 0282/2019/मुरैना/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक: । २०१६ अपील

श्री एस० के० अवस्थी एड.
द्वारा आज दि. 21-2-19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 2-3-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-2-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल शर्मा, (पुजारी)
निवासी ग्राम देवरी, तेहसील व जिला मुरैना, (मध्यप्रदेश)।
------- अपीलान्ट

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर महोदय, मुरैना
----- रिस्पोन्डेन्ट

अपील विरुध्द आदेश आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक १४-०१-१६ अन्तर्गत धारा ४४(२) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० ७१६। २०१८-१६ अपील (अपर आयुक्त)

श्रीमान् जी,

अपील का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएं कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों नेप्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहींमिला है । यह आपत्ति अपीलान्ट व्दारा प्रथम अपील में भी की गई है जिसका उल्लेख भी विवादित आदेश के पद-३ में किया गया है किन्तु इस आपत्ति पर न तो आयुक्त महोदय व्दारा विचार ही किया गया और न निराकरण ही किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक न्यायालय का आदेश न केवल नियमों अपितु प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्त के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 282/2019/मुरैना/भू0रा0

बालकृष्ण शर्मा विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–6–2019	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण एवं आयुक्त चम्बंल संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14–01–2019 की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। इस प्रकरण में कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपीलार्थी द्वारा मौज देवरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1280 में से रकवा 0.827 है0 पर फलदार वृक्ष लगाने की अनुमति हेतु तहसीलदार मुरैना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने ग्राम पंचायत देवरी के ठहराव प्रस्ताव एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर मुरैना को प्रेषित किया। कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15–5–18 में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि ग्राम देवरी के सर्वे कमांक 1280 रकवा 3.198 हेक्टयेर बेहड़/चरनोई के रूप में दर्ज में से रकवा 1.714 हे0 जिला व्यावार एवं उद्योग विस्तार हेतु सुरक्षित की जाने तथा धारा 239(2) के तहत श्रेणी के लिए आरक्षित भूमि राज्य शासन अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही वंटित की जा सकने एवं प्रश्नाधीन भूमि वृक्षों के आरक्षित नहीं होने से अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को आयुक्त चम्बल संभाग के समक्ष चुनौती दिये जाने पर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत	

19.6.19

प्रकरण कमांक अपील 282/2019/मुरैना/भू0रा0

बालकृष्ण शर्मा विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

अपील सारहीन होने से अस्वीकार की तथा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा। शासकीय भूमि पर वृक्ष लगाने हेतु अनुमति विधी एवं नियमों के तहत ही प्रदान की जा सकती है। राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदनों एवं नियमानुसार अनुमति प्रदान नहीं किया जाना नहीं पाते हुये ही कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है तथा आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य किया जाता है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

19.6.19

(आर0के0 जैन)
सदस्य